

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

क्रमांक:- एफ 5( ) एफ.सी.ए./मुवसज/2020-21/ 4151

दिनांक:- 24/09/21

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.2586 Ha. Forest land For Construction of Approach road  
(CH-0/00 to CH- 531.60) in Forest Block Dokan (PF), Village-  
Bhaghesar, Tehsil- Neemkathana, Dist.-Sikar (Raj.)  
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/43718/2020)

संदर्भ:- आपका ई.डी.एस. दिनांक 08.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में आपके ई.डी.एस. का प्रतिउत्तर उप वन संरक्षक, सीकर ने उनके पत्रांक 9462 दिनांक 17.09.2021 से इस कार्यालय में प्रेषित किया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

ई.डी.एस.	प्रतिउत्तर
While reviewing the google imagery of the proposal, a blue triangle with some construction is viewed probably constructed after 2014 as per time line of google imagery.Please comment on the legal status of this triangle.	प्रस्ताव के साथ संलग्न खसरा नक्शे में जो ब्लू ट्राईगल दिखाई दे रहा है, वह भूमि ग्राम भगेश्वर के खसरा नंबर 2 की भूमि है जो वक्त वन बंदोबस्त, वन बंदोबस्त अधिकारी, द्वारा वन सीमा से बाहर की गई है। जिसका विवरण गजट नोटिफिकेशन के परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन, खसरा सूची, परिशिष्ट 'अ' एवं ग्राम भगेश्वर के वन बंदोबस्त नक्शे की प्रति संलग्न है। खातेदार द्वारा खातेदारी भूमि जो वन सीमा से बाहर निकाली गयी है के चारदीवारी वर्ष 2014 में खतेदार द्वारा मौके पर तामीर की गई है। वन भूमि में कोई दीवार व अन्य निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

भवदीय,

(मनफूल सिंह)

वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक:- एफ 5( )एफ.सी.ए./मुवसज/2020-21/

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर